भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2090

31 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

टेली-परामर्श सेवाएं

†2090. श्रीमती सुप्रिया सुले:

श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:

श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:

प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़:

डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विशेष रूप से जनजातीय, ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार लाने और जेब से होने वाले खर्च को कम करने में महाराष्ट्र में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (एएएम) के माध्यम से प्रदान की जाने वाली टेली-परामर्श सेवाओं की प्रभावकारिता का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (एएएम) के माध्यम से आयोजित टेली-परामर्शों की जिला-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार को राज्य में खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी, विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी, तकनीकी कमियों, अपर्याप्त डिजिटल अवसंरचना, विलंबित फॉलो-अप या टेली-परामर्श सेवाओं के कम उपयोग के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारामक कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार का आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (एएएम) को सरकारी मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों के साथ एकीकृत करके तथा महाराष्ट्र में विशेषज्ञ परामर्श की उपलब्धता बढ़ाकर टेलीमेडिसिन अवसंरचना को सुदृढ़ करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने महाराष्ट्र सहित देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा (ई-संजीवनी) के रूप में ज्ञात टेलीमेडिसिन सेवा लागू की है।

दिनांक 26.07.2026 तक की स्थिति के अनुसार, ई-संजीवनी ने पूरे देश में 48 करोड़ से अधिक रोगियों जिनमें 57% से अधिक लाभार्थी महिलाएं और लगभग 14% लाभार्थी वरिष्ठ नागरिक हैं, को सेवा प्रदान की है। यह सेवा 1,41,171 स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों (स्पोक्स) के एक विशाल नेटवर्क के माध्यम से संचालित होती है, जिसे 19,173 हब्स और 890 ऑनलाइन ओपीडी की सहायता-प्राप्त है, जिससे सुदूर क्षेत्रों में भी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या की निर्बाध पहुंच सुनिश्चित होती है। 2.39 लाख से अधिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाता, जिनमें डॉक्टर, विशेषज्ञ, सुपर-स्पेशलिस्ट और फ्रंटलाइन स्वास्थ्यकर्मी शामिल हैं, परामर्श प्रदान करने के लिए इस प्लेटफ़ॉर्म का सक्रिय रूप से उपयोग कर रहे हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर जनजातीय, ग्रामीण, शहरी और दूरदराज क्षेत्रों सहित देश में टेलीकंसल्टेशन सेवाओं के संवर्धन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मानदंडों एवं उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही रिकॉर्ड (आरओपी) के रूप में प्रस्तावों पर अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

दिनांक 30.06.2026 की स्थिति के अनुसार, महाराष्ट्र में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (एएएम) में कुल 1.30 करोड़ टेलीकंसल्टेशन किए गए हैं।

नीति आयोग द्वारा किए गए एएएम कार्यक्रम के मूल्यांकन में कई उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं, जिनमें भौतिक एवं डिजिटल अवसंरचना में महत्वपूर्ण सुधार और सामुदायिक फुटफॉल में बढ़ोतरी शामिल है। ई-संजीवनी के माध्यम से टेलीकंसल्टेशन जैसे डिजिटल उपकरणों ने एएएम में विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच, विशेष रूप से ग्रामीण, जनजातीय और दूरदराज के क्षेत्रों में जहां विशेषज्ञों की उपलब्धता सीमित है, को बेहतर बनाया है और परिचर्या की निरंतरता को सुदृढ़ किया है।

सरकार ने जनजातीय, ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में संपर्क और उपकरणों की उपलब्धता में सुधार के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

i. महत्वपूर्ण स्पोक्स की सहायता करने के लिए, मेडिकल कॉलेजों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी)/जिला अस्पतालों (डीएच) में डॉक्टरों की टीमें नियोजित करके क्षेत्रीय हब की स्थापना।
ii. डॉक्टरों को शिफ्टों में टेलीकंसल्टेशन करने की अनुमति देना, जिससे वे अपने नियमित कर्तव्यों के साथ-साथ सहभागिता में समर्थ हो सकें। विशिष्ट प्रकार के परामर्शों के लिए आयुष चिकित्सकों को शामिल करना, जिससे उपलब्ध स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं का दायरा बढ़ाया जा सके।

iii. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में डॉक्टरों की उपलब्धता के आधार पर स्पोक्स को हब्स से कॉल करने में सक्षम बनाना, इस प्रकार सुविधा केंद्रों में चिकित्सा पेशेवरों की कमी के कारण टेलीकंसल्टेशन सेवाएं प्रदान करने में आने वाली चुनौतियों का समाधान करना।

iv. डॉक्टरों की दक्षता बढ़ाने और उनके कार्यभार को कम करने के लिए उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस और एआई-संचालित उपकरणों के साथ ई-संजीवनी के प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण करना। इसके अतिरिक्त, ई-संजीवनी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के अनुरूप है, जो स्वास्थ्य रिकॉर्ड के सुरक्षित साझाकरण को सक्षम बनाता है और यह सुनिश्चित करता है कि टेलीकंसल्टेशन व्यापक, रोगी-केंद्रित डेटा द्वारा समर्थित हों।

v. नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्याओं को दूर करने के लिए, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल अवसंरचना में सुधार के लिए कदम उठाए हैं। भारतनेट जैसी पहल ग्रामीण भारत को हाइ-स्पीड इंटरनेट प्रदान कर रही हैं और कुछ राज्यों में टेलीमेडिसिन सेवाओं में सहायता कर रही हैं। राज्य सरकारें दूरसंचार प्रदाताओं के साथ सहयोग करके एएएम-एसएचसी स्तर तक ब्रॉडबैंड कवरेज का विस्तार कर रही हैं।

vi. सरकार ई-संजीवनी प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से टेलीमेडिसिन तकनीक के प्रभावी उपयोग के लिए स्वास्थ्य परिचर्या पेशेवरों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण करती है। सीडीएसी मोहाली में ई-संजीवनी टीम डॉक्टरों और स्वास्थ्य परिचर्या कार्यकर्ताओं की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए वर्चुअल प्रशिक्षण सत्र आयोजित करती है।
